105

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग–2

संख्या–1656/V–2/39(एल0यू0सी0)12/15
देहरादून : दिनांक 27 नवम्बर, 2015

अधिसूचना

राज्य सरकार द्वारा देहरादून महायोजना–2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु विज्ञप्ति दिनांक 13.08.2015 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं दैनिक राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 20.08.2015 को कराया गया। महायोजना संशोधन के संबंध में निर्धारित समयान्तर्गत श्री प्रवीण मकड़ेती, पुत्र श्री आनन्द सिंह, निवासी दानियों का डाण्डा पो0ओ0 राजपुर देहरादून द्वारा अपने पत्र दिनांक 07.09.2015 द्वारा आपत्ति की गयी। उक्त आपत्ति का निस्तारण संयुक्त सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2196/सं0स0अ0वि0/2015, दिनांक 30.10.2015 द्वारा किया गया है।

2– उपरोक्त् के दृष्टिगत उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 (संशोधन) अधिनियम–2013 की धारा–13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, महामहिम राज्यपाल देहरादून महायोजना–2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते हैः–

अनुसूची

क्रम संख्या	स्थल/ग्राम का नाम	भू–उपयोग हेतु प्रस्तावित खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	महायोजना में वर्तमान भू–उपयोग	प्रस्तावित भू–उपयोग
1.	मक्कावाला, मसूरी डाईवर्जन, देहरादून	81ग, 83क, 81ख, 80ग, 81क, 83ख, 80क	0.3850	कृषि	शैक्षणिक (सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक)
	कुल क्षेत्रफल		0.3850 हैक्टेयर		

3– भू–उपयोग परिवर्तन की यह कार्यवाही भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दूनघाटी क्षेत्र के सम्बन्ध में निर्गत अधिसूचना दिनांक 01.02.1989 एवं दिनांक 14.09.2006 से आच्छादित एवं प्रभावित होगी।

आज्ञा से,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव ।

संख्या–1656/V–2/39(एल0यू0सी0)12/15–तद्दिनांक ।

प्रतिलिपिः– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना को असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग–4 के सम्बन्धित खण्ड में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा 10 प्रतियां शासन को एवं 5–5 प्रतियां नीचे अंकित क्रमांक–1 एवं 2 के अधिकारियों को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या–1656/V–2/39(एल0यू0सी0)12/15–तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
2– वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
3– गार्ड बुक/एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4– निदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 कॉम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 को भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दूनघाटी क्षेत्र के सम्बन्ध में निर्गत अधिसूचना दिनांक 01.02.1989 एवं दिनांक 14.09.2006 के क्रम में प्रेषित।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव